न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 01/2024 अपील (GCMS 2024/2)
पंजीयन दिनांक– 10/01/2024
निर्णय दिनांक– 12/08/2024

1. मैसर्स शिवा एक्सप्लोसिवस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, 8 भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर जरिये निदेशक श्री अभिनव उपाध्याय, निवासी उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद, जिला राजसमंद।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–
1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–6 (एफ) विस्फोटक अधिनियम, 1984 व नियम 121 विस्फोटक नियम–2008 विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद के निर्णय क्रमांकः एफ. 21/10 (क) (7) (1) विस्फो. यूनिट/उदलपुर/न्याय/15/3668 दिनांक 01.11.2023

निर्णय

दिनांक 12/08/2024

उक्त अपील अपीलांट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के निर्णय क्रमांक एफ. 21/10 (क) (7) (1) विस्फो. यूनिट/उदलपुर/न्याय /15/3668 दिनांक 01.11.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

- राजस्व ग्राम उदलपुरा ग्राम पंचायत कोटडी तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर क्रमशः 571, 575, 579, 584, 585, 610 रकबा क्रमशः 06.12, 01.18, 07.00, 05.10, 02.06, 08.16, कुल किता 6 कुल रकबा 32.04 बीघा अर्थात 52164 वर्गमीटर भूमि स्थित है, जो अपीलार्थी के खातेदारी की हैं। उक्त भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमन्द) के यहां पर संपरिवर्तन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर आदेश क्रमांक 35/12 दिनांक 12.11.2012 से संपरिवर्तन आदेश पारित करते हुए औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन किया गया। प्रस्तावित भूमि का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 12.11.2012 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश श्री शिवा एक्सप्लोसिव ह0प्रा0लि0 डायरेक्टर की सुरेश पिता नवीनचंद उपाध्याय निवासी उदयपुर के नाम पारित किया गया। अपीलांट द्वारा विस्फोटक निर्माण इकाई/उद्योग हेतु प्रा.पत्र जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द के यहां N.O.C. प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2015 को प्रस्तुत किया गया।
- जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश क्रमांक 1285–89 दिनांक 24.07.2024 से उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 35/2012 दिनांक 12.12.2012 में अंकित भूमि की रूपांतरण अवधि आगामी 05 वर्षो के लिए बढ़ायी गई है।
- जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा समसंख्यक पत्रांक एफ. 21/10 (क) (7) (1) विस्फो.युनिट/उदलपुर/न्याय/15/6848 दिनांक 01.08.2016 से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विस्फोटक निर्माण युनिट/उद्योग के लिये एन.ओ.सी. दी जाना उचित नहीं मानते हुए प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया।

- जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के उक्त आदेश/पत्र दिनांक 01.08.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके प्रकरण संख्या Exp 2016–01 है। उक्त अपील में संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.10.2016 पारित करते हुए प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित किया। निर्णय दिनांक 19.10.2016 के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नानुसार है–
- ''हमने उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त विवादित स्थल पर विस्फोटक निर्माण युनिट की स्थापना हेतु सभी विभागों यथा जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द, वन विभाग, पंचायत कोटडी तथा पटवारी द्वारा प्रस्तावित स्थल की निरीक्षण रिपोर्ट, तहसीलदार रेलमगरा से विस्फोटक निर्माण युनिट हेतु अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में मौके की जांच रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसमें सभी विभागों द्वारा विस्फोटक निर्माण युनिट स्थापना हेतु अपनी अनापत्ती जारी की गई और मुख्य रूप से जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द ने अपनी अनापत्ती सम्पूर्ण बिन्दुओं पर जारी की गई एवं साथ ही मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर द्वारा अपनी विस्तृत रिपोर्ट द्वारा अनुमति जारी की गई जो विस्फोटक निर्माण युनिट के लिए मुख्य संस्था है और जब इस संस्था द्वारा अनुमति जारी कर दी गई तो एन.ओ.सी. जारी करने मे किसी तरह की कोई बाधा नहीं हो सकती है और जहां तक वाणिज्यिक श्रैणी में विस्फोटक उत्पादन आने का प्रश्न है उससे में सहमत नहीं हूं क्योंकि अपीलांट कम्पनी प्रस्तावित भूमि पर विस्फोटक निर्माण युनिट की स्थापना करना चाहती है जो युनिट वाणिज्यिक श्रैणी में नहीं आती है, क्योंकि राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 में औद्योगिक प्रयोजनों का तात्पर्य निर्माण से है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2016 को पारित

आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का आदेश दिनांक 01–08–2016 को निरस्त किया जाता हैं। प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रति प्रेषित (Remand) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द की रिपोर्ट एवं मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर की अनुमति के आधार पर और वन विभाग आदि द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण पत्र जांच रिपोर्ट, पटवारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी को सुनकर प्रकरण का पूर्ण विवेचन करते हुए तथ्यों एवं नियमों के अन्तर्गत नवीन आदेश पारित करें।''

- उक्त आदेश के अनुपालना में जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा बाद की कार्यवाही करते हुए निर्णय क्रमांक एफ.21/10 (क) (7) (1) विस्फो.यूनिट/उदलपुर/ न्याय/15/8581 दिनांक 24.05.2019 से एन.ओ.सी. आवेदन को खारिज किया।
- जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के उक्त आदेश/पत्र दिनांक 24.05.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके प्रकरण संख्या 01/2019 है। उक्त अपील में संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 24.03.2024 पारित करते हुए प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित किया। निर्णय दिनांक 24.03.2024 के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नानुसार है–
- "अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05. 2019 एसएमई (साइट मिक्सड एक्सप्लोसिव्स) के सम्बन्ध में निरस्त एनओसी की सीमा तक अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को

निर्देशित किया जाता है कि एस.एम.ई सपोर्ट/विनिर्माण प्लांट/सायलो यूनिट में एसएमई (साइट मिक्सड एक्सप्लोसिव्स) के विनिर्माण का साईट तथा निर्माण कार्य के सम्बन्ध में उपरोक्त विवेचनानुसार नये सिरे से नियमानुसार निर्णय एक माह की अवधि में पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।"

- उक्त आदेश के अनुपालना में जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा बाद की कार्यवाही करते हुए निर्णय क्रमांक एफ.21/10 (क) (7) (1) विस्फो.यूनिट/उदलपुर/ न्याय/15/3668 दिनांक 01.11.2023 से एन.ओ.सी. आवेदन को खारिज किया।
- जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के निर्णय दिनांक 01.11.2023 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांक 26.12.2023 को प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थिति जिनकी बहस दिनांक 30.07.2024 को सुनी गई।
- अपीलार्थी ने अपील व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2023 के प्रदत्त निर्देशों की पालना की जानी थी परन्तु निर्देशों की पालना के परे जाकर गलत तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया जो पूर्णतया कानून सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि का जो भू–उपयोग परिवर्तन ओद्योगिक प्रयोजनार्थ करवाया था उसमें तथाकथित कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में स्पष्ट तौर से अपीलांट कम्पनी किस कार्य के लिए काम करेगी उसका उल्लेख है और उसी के आधार पर अपीलांट की भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन औद्योगिक प्रयोजनार्थ के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया और इस प्रकार उस परिवर्तन आदेश

के विपरित जाकर और उसमें ऐसा कोई तथ्य 1.5 कि.मी. से सम्बन्धित नहीं होते हुए भी पुनः उसी आधार पर यह कह दिया कि आबादी क्षेत्र के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती है और उस बाबत् किसी प्रकार की एन.ओ.सी. दिया जाना उचित नहीं है, का आदेश पारित किया जो कानून सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकन किया कि प्रकरण में प्रस्तावित उद्योग अप्रदुषक नहीं होकर रेड केटेगरी में आता है एवं राज्य सरकार द्वराा उपरोक्त निर्बंधनों के संबंध में विस्फोटक मैगजीन/SME युनिट विनिर्माध के संबंध में विस्फोटक विभाग के मानदण्ड लागू होने के संबंध में कोई छुट नहीं दी गई है एवं न ही कोई स्पष्टीकरण नियमों में विहित किया गया हैं। अतः प्रकरण में प्रश्नगत भूमि राजस्व ग्राम की आबादी की बाहरी सीमा से 1.5 किलोमीटर की परिधि में होने एंव प्रस्तावित उद्योग अप्रदुषक श्रेणी का नही होकर रेड केटेगरी का होने से आमजन स्वास्थ्य एंव सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एसएमई विनिर्माण उद्योग हेतु अनापत्ति दिया जाना उचित नही है, अतः प्रार्थी का माननीय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 24.03.2024 के क्रम में SME युनिट विनिर्माण हेतु अनापत्ति का आवेदन खारिज किया है, विधि विरूद्ध एनओसी जारी नहीं किए जाने का निर्णय पारित किया गया जो निरस्त योग्य है।

- अपीलांट द्वारा जो एनओसी चाही गई है, उसमें उल्लेखित किया गया है कि वह निर्माण से सम्बन्धित है, न कि किसी प्रकार से उत्पादन से सम्बन्धित है। अपीलांट द्वारा केवल निर्माण कार्य किया जावेगा जिसकी सूचना पेसो में दी जावेगी तत्पश्चात् निर्मित फेक्ट्री का पेसो के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जावेगा एवं समस्त मापदण्डों को पूरा करने के साथ साथ उत्पादन के समस्त शर्तो और मापदण्डों को पूरा करने पर ही पेसो द्वारा उत्पादन बाबत अनुज्ञा जारी की जावेगी। फेक्ट्री युनिट के निर्माण कार्य पूरा कर अपीलांट द्वारा नियमानुसार उत्पादन की

अनुज्ञप्ति के लिये पेसो में पुनः आवेदन किया जावेगा। इस प्रकार के कथनों को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया। एसएमई सपोर्ट/विनिर्माण प्लांट/साइलो युनिट को किसी में होने वाले उत्पादन को विस्फोटक नहीं माना गया है, ना ही इसमें डीई–1 की आवश्यकता होती है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकार के तथ्यों का उल्लेख किये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया।

- अधीनस्थ न्यायालय ने खसरों में भिन्नता का उल्लेख किया है, अपीलांट ने अपने स्वामित्व की सम्पूर्ण भूमि (संपरिवर्तित एवं कृषि भूमि) का विवरण पेसो में दिया है और निर्माण संपरिवर्तित भूमि पर ही किया जाना है, शेष भूमि खुली ही रहेगी।
- पेसो द्वारा पत्र दिनांक 24.04.2017 के अनुसार विस्फोटक के भण्डारन के लिए मैगजीन होना आवश्यक बताया है। अपीलांट ने बताया कि अपीलांट यहा पर किसी भी प्रकार की मैगजीन यानि भण्डारन हेतु बारूदशाला का निर्माण नहीं करना चाहता है वो सिर्फ यहां पर नाईट्रेट मिक्सचर एवं एसएमई सपोर्ट/विनिर्माण प्लांट/साइलो युनिट का निर्माण करना चाहता है, मैगजीन यानि भण्डारन हेतु बारूदशाला अपीलांट के पास पहले से ही उपलब्ध है। अपीलांट द्वारा निर्धारित सभी प्रारूपों एवं बिन्दुओं पर अपना पक्ष रख चुका है, परन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर पत्रावली में कही विचार ही नहीं किया गया, ना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पक्ष/तथ्यों/कानूनी बिन्दुओं को कही रेकार्ड पर लिया गया है।
- अपीलांट द्वारा जो अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल मात्र फेक्ट्री के निर्माण से सम्बन्धित है, न ही फेक्ट्री के अन्दर होने वाले किसी भी उत्पादन से सम्बन्धित और न ही यहां पर किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय से सम्बन्धित गतिविधियां की जानी है, न ही यहां पर किसी भी प्रकार की मैगजीन बनाई जानी है, न ही यहां पर किसी भी प्रकार का भण्डारन किया जाना है ऐसी स्थिति में पेसो द्वारा अनुमोदित मानचित्र अनुसार फेक्ट्री के अनुमति निर्माण बाबत

एनओसी चाही गई परन्तु एनओसी निरस्त करने का निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय कानूनी एवं वाकेयाती भूल की है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 24.05.2019 को पारित किया गया उसकी जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई, दिनांक 03.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय से ईमेल प्राप्त होने पर जानकारी हुई। जानकारी प्राप्त होते ही प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.11.2023 में वर्णित कारणों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की भूमि को जो संपरिवर्तन आदेश पारित किया है, वह अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर किया है, विस्फोटक मैगजीन के लिए भूमि रूपान्तरण हेतु जिला प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होकर ग्राम की आबादी से प्रस्तावित स्थल की दूरी 1.5 किलामीटर होना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा नाईट्रेट मिक्सचर तथा एसएमई (स्लरी/इमलशन) का एक ही समय 23–25 टन निर्माण का लाईसेंस चाहा है जिसके लिये सुरक्षा दुरी विस्फोटक रूल्स 2008 की टेबल संख्या–1 में उल्लेखित मात्रा 20000 किलो से 25000 किलो के लिये 605 से 650 मीटर के बीच होना आवश्यक है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी की भूमि निर्धारित दुरी से कम दुरी पर स्थित है, जो नियमों के विपरित होकर एनओसी जारी किये जाने के लिए उचित नहीं है। साथ ही पेसो नागपुर द्वारा भी विस्फोटक निर्माण प्लांट में तैयारशुदा विस्फोटक को रखने के लिए मैगजीन होना आवश्यक बताया है, ऐसी स्थिति में जनहीत और लोकसुरक्षा को दृष्टिगत रखा जाना अत्य आवश्यक है और प्राथमिकता को देखा जाना अत्यावश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों, तथ्यों एवं अन्य प्रदान जानकारियों का नियमों के परिपेक्ष्य में पूर्ण विश्लेषण कर निर्णय

पारित कर एनओसी को निरस्त किया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से भी निरस्त योग्य है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

- हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुए किः—
- सर्वप्रथम भूमि के व्यवसायिक उपयोग एवं औद्योगिक उपयोग का प्रश्न है, पूर्व में ही संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.10.2016 में उल्लेख किया है कि ''जहां तक वाणिज्यिक श्रैणी में विस्फोटक उत्पादन आने का प्रश्न है उससे में सहमत नहीं हूं क्योंकि अपीलांट कम्पनी प्रस्तावित भूमि पर विस्फोटक निर्माण युनिट की स्थापना करना चाहती है जो युनिट वाणिज्यिक श्रैणी में नहीं आती है, क्योंकि राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 में औद्योगिक प्रयोजनों का तात्पर्य निर्माण से है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2016 को पारित आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है।'' ऐसी स्थिति में संपरिवर्तन के बिन्दु पर ओर चर्चा किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।
- मैसर्स शिवा एक्सप्लोजिव प्रा.लि., उदयपुर द्वारा पेसो, नागपुर समक्ष प्रस्तुत एस.एम.ई सपोर्ट/विनिर्माण प्लांट/सायलो यूनिट में साईट मिक्सड विस्फोटक (एस.एम.ई) के विनिर्माण का साईट तथा निर्माण कार्य विवरण दर्शाया आरक्षण पेसो, नागपुर द्वारा पत्रांक A/E/HQ/RJ/SM/9(E64467) दिनांक 23.07.2015 अनुमोदित किया गया। इसी प्रकार मैसर्स शिवा एक्सप्लोजिव प्रा.लि., उदयपुर द्वारा पेसो, नागपुर समक्ष प्रस्तुत **Nitrate Mixture** — विस्फोटक विनिर्माण के विनिर्माण फेक्टरी का साईट तथा निर्माण कार्य विवरण दर्शाया आरेक्षण पेसो, नागपुर द्वारा पत्रांक

A/E/HQ/RJ/20/35(E64466) दिनांक 23.07.2015 अनुमोदित किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि जिला प्राधिकरण/डीजीएमएस से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही अनुमोदित साईट और निर्माण योजना के अनुसार उपरोक्त निर्माण कार्य किया जा सकता है।

- तत्पश्चात अपीलार्थी मैसर्स शिवा एक्सप्लोजिव प्रा.लि., उदयपुर द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द समक्ष विस्फोटक रूल्स–2008 के नियम–113 अन्तर्गत एस.एम.ई सपोर्ट/विनिर्माण प्लांट/सायलो यूनिट में साईट मिक्सड विस्फोटक (एस.एम.ई) एवं **Nitrate Mixture** विनिर्माण का साईट तथा निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्राप्त करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें तादाद कर विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया–

<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Name and description</th><th>Class</th><th>Division (if any)</th><th colspan="2">Quantity</th></tr>
<tr><td colspan="3">At any one time</td><td colspan="3">In one month</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Nitrate Mixture</td><td>II</td><td>-</td><td>23 Tons</td><td>500 Tons</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SME (Slurry/ Emulsion)</td><td>II</td><td>-</td><td>25 Tons</td><td>500 Tons</td></tr>
</table>

- उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का कथन, कि अपीलांट ने केवल मात्र 1000 किलो के बाबत ही एन.ओ.सी. चाही गई है, पूर्णतया असत्य है। अपीलार्थी द्वारा एक समय में 23 टन एवं 25 टन का उत्पादन किया जावेगा।

- विस्फोटक रूल्स 2008 की टेबल संख्या–1 में उपरोक्त उल्लेखित मात्रा 20000 किलो से 25000 किलो के लिये 605 से 650 मीटर के बीच होना आवश्यक है। अपीलीय कार्यवाही के दौरान मैसर्स शिवा एक्सप्लोजीव द्वारा यह कथन किया कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पूर्व में प्रस्तावित साईट के आराजी संख्या–585 में संपरिवर्तित आराजी संख्या–888/585 से ग्राम उदलपुरा की मुख्य आबादी आराजी संख्या–446 की बाहरी सीमा से हवाई दुरी

503 मीटर एवं निकटतम राजकीय भवन (राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उदयपुर के भवन व खेल मैदान) की बाहरी सीमा से दुरी 261 मीटर है, जबकि मौके पर कोई राजकीय भवन नहीं बना हुआ है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट, प्रस्तुत अपील एवं दौराने अपीलीय कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा किये गये कथनों से विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार, रेलमगरा से उक्त प्रस्तावित साईट का मौका निरीक्षण कर वर्तमान मौका रिपोर्ट एवं साईट से आबादी भूमि की वास्तविक दुरी दर्शित रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, रेलमगरा द्वारा रिपोर्ट दिनांक 16.12.2019 अनुसार अपीलार्थी के आराजी नम्बर 888/585 आबादी की दुरी 503 मीटर पर उपस्थित है।

- विस्फोटक रूल्स् 2008 के नियम–113 अनुसार एस.एम.ई सपोर्ट/विनिर्माण प्लांट/सायलो यूनिट में साईट मिक्सड विस्फोटक (एस.एम.ई) हेतु अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु वांछित दस्तावेजों की सूची/वर्णन अनुसार यह ज्ञात होता है कि साईट मिक्सड विस्फोटक (एस.एम.ई) हेतु डीई–1 की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि **Nitrate Mixture** हेतु डीई–1 प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि साईट मिक्सड विस्फोटक (एस.एम.ई) हेतु दुरी का निर्धारण किया जाना आवश्यक नहीं है।
- मैसर्स शिवा एक्सप्लोजीव द्वारा यह कथन किया कि प्रस्तावित साईट से 65 किमी की दुरी पर उनकी एक मैगजीन स्थित है, प्रस्तावित साईट पर होने वाले प्रतिदिन के उत्पादन को भंडारन हेतु उक्त मैगजीन में ट्रासपोर्ट किया जावेगा। नियमों की स्पष्टता के परिपेक्ष्य में न्यायालय हाजा द्वारा मुख्य नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), नागपुर से पत्र दिनांक 03.12.2019 से मागदर्शन चाहा गया कि–

- कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें कि क्या उक्त पदार्थ ***SME (Slurry/Emulsion – Class-II, 25 Ton at one time and 500 Ton in one month)*** बाबत विस्फोटक निर्माण ईकाई हेतु मेगजीन का निर्माण किया जाना आवश्यक है। क्या आपका विभाग उत्पादित पदार्थ हेतु मेसर्स शिवा एक्सप्लोसिव के अनुसार किए जाने वाले अपनी 65 किमी दुरी पर स्थिति मेगजीन में भंडारन हेतु परिवहन/ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति देती है या नहीं।
- कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें कि क्या उक्त पदार्थ ***Nitrate Mixture (Nitrate Mixture – Class-II, 23 Ton at one time and 500 Ton in one month)*** बाबत विस्फोटक निर्माण ईकाई हेतु मैगजीन का निर्माण किया जाना आवश्यक है। क्या आपका विभाग उत्पादित पदार्थ हेतु मेसर्स शिवा एक्सप्लोसिव के अनुसार किए जाने वाले अपनी 65 किमी दुरी पर स्थिति मैगजीन में भंडारन हेतु परिवहन/ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति देती है या नहीं।
- मुख्य नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), नागपुर द्वारा पत्र दिनांक 16.01.2020 ने अवगत कराया कि नाईट्रेट मिक्सचर के लिए स्टोरेज मैगजीन की आवश्यक होती है। यह स्पष्ट है कि विस्फोटक निर्माण युनिट स्थल पर ***Nitrate Mixture*** तैयारशुदा विस्फोटक स्टोरेज के लिये मैगजीन का भी होना अनिवार्य है। अपीलार्थी द्वारा ***Nitrate Mixture*** के लिये मैगजीन बाबत प्रस्तुत कथन मुख्य नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), नागपुर द्वारा प्रदत्त उपरोक्त मार्गदर्शन अनुसार नहीं है।
- मुख्य नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), नागपुर द्वारा पत्र दिनांक 16.01.2020 ने अवगत कराया कि एसएमई (साइट मिक्सड एक्सप्लोसिव्स) विस्फोटक के भंडारण के लिये मैगजीन की आवश्यकता नहीं है। यह साइलो में स्टोर किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दो पदार्थ के लिये विस्फोटक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अलग–अलग

आवेदन किया गया जिसका विवरण पूर्व में किया जा चुका है। साईट मिक्सड एक्सप्लोसिव्स (एस.एम.ई) हेतु न ही डीई–1 की आवश्यकता होती है और न ही मैगजीन की। साईट मिक्सड एक्सप्लोसिव्स (एस.एम.ई) हेतु एनओसी निरस्त करने से पूर्व इन विधिक बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। साईट मिक्सड विस्फोटक (एस.एम.ई) एवं नाईट्रेट मिक्सचर, जिनके लिए अलग अलग अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पेसों में किया गया था, का एक ही आदेश पारित किया गया और नाईट्रेट मिक्सचर के लिए प्रयुक्त प्रावधानों को साईट मिक्सड विस्फोटक (एस.एम.ई) विनिर्माण हेतु जारी एनओसी पर भी लागु किया गया जो अनुचित है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं मुख्य नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), नागपुर के पत्र दिनांक 16.01.2020 में प्रदत्त मार्गदर्शन से यह जाहिर होता है कि साईट मिक्सड विस्फोटक (एस.एम.ई) विनिर्माण हेतु एनओसी जारी की जा सकती है।

- RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, JAIPUR के आदेश दिनांक 24.08.2023 अनुसार बिन्दु संख्या C में वर्णित तालिका अनुसार क्रम संख्या 15 में वर्णित उद्योग Manufactruing of explosives, detonators, fuses including management and handling activities with capital investment (Micro, and small and Meium Entrprises) को उक्तानुसार उक्त विभाग द्वारा भी रेड केटेगरी में नही माना गया है।
- अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2023 एसएमई (साइट मिक्सड एक्सप्लोसिव्स) के सम्बन्ध में निरस्त एनओसी अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को आदेशित किया

जाता है कि एस.एम.ई सपोर्ट/विनिर्माण प्लांट/सायलो यूनिट में एसएमई (साइट मिक्सड एक्सप्लोसिव्स) के विनिर्माण का साईट तथा निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निर्णयानुसार 15 दिवस की अवधि में NOC जारी करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर